Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

130-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2026 (BHADRA 4, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 26th August, 2026

No. 14-HLA of 2026/ 100/14649.— The Haryana State Commission for Minorities Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 14- HLA of 2026

A

BILL

to constitute a Commission for minorities in the State of Haryana with a view to protect and safeguard the interest of minority, to recommend additional social, economic, educational and cultural requirements of religious and linguistic minorities, to preserve secular traditions and to promote national integration and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana State Commission for Minorities Act, 2026.

(2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;

(b) "Commission" means the Haryana State Commission for Minorities constituted under section 3;

(c) "Government" means the Government of the State of Haryana;

(d) "member" means a member of the Commission and includes its Chairperson, Vice-Chairperson and Secretary;

(e) "minority" means a community residing in the State of Haryana declared by the Government as minority community by notification in the Official Gazette, from time to time;

(f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(g) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Commission.

Constitution of Commission.

3. (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the Haryana State Commission for Minorities to exercise the powers conferred on and perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Commission shall consist of,-

(a) a Chairperson, who shall be a person of eminence, having wide experience in social life and has worked, contributed in Government activities, to be nominated by the Government;

(b) a Vice-Chairperson, who shall be a person of eminence, ability and integrity, having practical experience in matters relating to the welfare, protection of rights, social advancement, educational development, economic empowerment or cultural interests of the minority, to be nominated by the Government;

(c) five non-official members to be nominated by the Government from amongst the persons of eminence, ability and integrity representing all minority groups:

Provided that the Government may increase or decrease the number of members as per population of the minority community:

Provided further that all the members including the Chairperson, Vice-Chairperson shall be from amongst the minority; and

(d) Secretary, who shall be appointed by the Government under section 7.

Term of office of member.

4. (1) The Chairperson, Vice-Chairperson and every member shall hold office for a term of three years from the date of assuming the charge.

(2) Whenever a vacancy occurs by removal of the Chairperson, Vice-Chairperson or a member, as the case may be, such a vacancy shall be filled up by the Government by nomination and such person nominated shall hold office for the remainder of his predecessor's term of office.

Resignation and removal of member.

5. (1) The Chairperson, Vice-Chairperson or a member may at any time, by writing under his hand addressed to the Government, resign from his office.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Government may, by order, remove the Chairperson, Vice-Chairperson or a member, as the case may be, if he, -

(a) becomes an undischarged insolvent; or

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government involves moral turpitude; or

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) refuses to act or becomes incapable of acting; or

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absents from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has, in the opinion of the Government, abused his position as Chairperson, Vice-Chairperson or a member, as the case may be, as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of minorities or the public interest:

Provided that no person shall be removed except as in clause (a), (b) and (c) until that person has been given a reasonable opportunity of being heard.

Salary and allowances of member.

6. The salary and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson and a member shall be such, as may be prescribed.

Secretary of Commission.

7. (1) The Government shall appoint an officer of the Haryana Civil Services Cadre, as a Secretary of the Commission.

(2) The Secretary shall cause the accounts of the Commission to be maintained and shall discharge the duties assigned to him by or under this Act.

(3) The Secretary shall be the Chief Executive Officer of the Commission and shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Commission and its day-to-day management and shall, -

(a) operate the grants of the Commission;

(b) discharge such other functions, which are conferred upon him by or under this Act or any other law for the time being in force; and

(c) delegate any of its functions or authority to a subordinate officer of the Commission.

8. (1) The Government shall provide the Commission with such staff, as may be required for proper functioning of the Commission under this Act. Staff of Commission.

(2) The salary, allowances and conditions of service of the staff shall be such, as may be prescribed.

9. The salaries and allowances payable to the Chairperson, Vice-Chairperson and members and the administrative expenses, including salaries and allowances payable to staff of the Commission shall be paid out of the grants referred to in sub-section (2) of section 15. Salaries and allowances to be paid out of grants.

10. (1) The Commission shall regulate its own procedure with the prior approval of the Government. Procedure to be regulated by Commission.

(2) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Chairperson in this behalf.

11. No act, decision or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of any vacancy or defect in the constitution of the Commission or any defect in the appointment of a person acting as Chairperson, Vice-Chairperson or a member or any irregularity in the procedure of the Commission, including issuing a notice for holding of a meeting, not affecting merits of the matter. Vacancy etc. not to invalidate proceedings of Commission.

12. (1) The Commission shall meet as and when necessary, at such time and place, as the Chairperson may think fit: Meeting of Commission.

Provided that the Commission shall meet at least once in three months.

(2) The Chairperson shall preside over the meeting of the Commission.

(3) One-half of the members shall form the quorum for a meeting.

13. (1) The Commission shall perform the following functions, namely :- Functions of Commission.

(a) to examine the working of various safeguards provided in the Constitution of India or the laws enacted by the Parliament or the laws passed by the State Legislature for the protection of minorities and to make recommendations to ensure effective implementation and enforcement of all the safeguards;

(b) to monitor the working of the safeguards provided in the Constitution of India, laws enacted by the Parliament or State Legislature, policies and schemes of the Government for minority;

(c) to conduct studies, research and analysis on the question of avoidance of discrimination against minority;

(d) to make assessment of the representation of minority in various services under the Government of Haryana and the means to achieve the desired level;

(e) to make recommendations for ensuring, maintaining and promoting communal harmony in the State of Haryana;

(f) to make periodical or special reports to the Government on any matter pertaining to the minority and in particular, difficulties confronted by them;

(g) to study any other matter, which in the opinion of the Commission, is important from the point of view of the welfare and development of minority and to make appropriate recommendations;

(h) to consider the grievances of the minority and to suggest appropriate solution from time to time;

(i) to look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of minority and take up such matters with the appropriate authorities:

Provided that if any matter specified in sub-section (1) is undertaken by the National Commission for Minorities constituted under section 3 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (Central Act 19 of 1992), the Commission shall cease to have jurisdiction in such matters.

(2) The Government shall cause the recommendations of the Commission to be laid before the State Legislature along with the memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reasons for non-acceptance, if any, of such recommendations:

Provided that in case of non-acceptance of any recommendations, the Commission shall have the right to be heard by the Government.

Powers of Commission.

14. The Commission shall, while carrying out its functions under this Act, have the powers of a civil court and in particular, in respect of the following matters, namely: -

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any office of the Government;

(e) issuing commissions for the examination of witness and documents; and

(f) any other matter, ass may be prescribed.

Budget of Commission and grants by Government.

15. (1) The Commission shall prepare every year a budget estimate of its income and expenditure for the financial year and shall forward it to the Government for approval.

(2) The Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money, as the Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

(3) The Commission may spend such sums, as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditures payable out of the grants referred to in sub-section (2).

Accounts and audit.

16. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant record in such form, as may be prescribed.

(2) The accounts of the Commission shall be audited by an auditor deputed by the Director, Local Audit, Haryana after the close of each financial year and any expenditure in connection with such audit, shall be payable by the Commission.

(3) An auditor shall have access to all the accounts and other records of the Commission.

(4) The accounts of the Commission, as certified by an auditor, together with a copy of the audit report shall be forwarded to the Government by the Commission.

Annual report.

17. (1) The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Government.

(2) The Government shall cause the annual report to be laid before the State Legislature.

Special report.

18. The Commission may submit to the Government a special report on any matter of public importance pertaining to the interests of the minority.

Powers to utilize services of agencies.

19. The Commission may, for the purposes of conducting any examination of witness and documents under this Act, utilize the services of any agency of the Government with the prior approval of the Government.

Protection of statement made to Commission.

20. No statement made by a person to the Commission in the course of giving evidence shall be used against him in any civil or criminal proceedings, except for prosecuting him for giving false evidence.

Public servant.

21. The Chairperson, Vice-Chairperson, members and officers of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023).

Protection of action taken in good faith.

22. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Chairperson, Vice-Chairperson, members or any officer performing functions under this Act or any official acting under the directions of such officer, for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

Research cell.

23. The Commission may, for carrying out the purposes of this Act, recommends the Government to establish a research cell.

Power to make rules.

24. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the State Legislature.

Power to remove difficulties.

25. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, in consultation with the Commission by order published in the Official Gazette, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana State Commission for Minorities is proposed to be set up for providing an institutional arrangement at the State level for evaluating the safeguards provided in the Constitution and in laws for the protection of minorities, and for making recommendations to ensure effective implementation of such safeguards and laws in the State of Haryana.

2. A Commission with statutory status would infuse confidence among the minority communities about its working and effectiveness. It would also carry greater weight with the State Government, its Departments, Boards, Corporations, local authorities and other organisations concerned with the welfare and development of minorities.

3. It has, therefore, been decided to give statutory status to the Haryana State Commission for Minorities by the proposed legislation.

4. The Haryana State Commission for Minorities shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and such number of Members as may be provided under the Bill.

5. The main task of the Commission shall be to evaluate the progress of the development of minorities in the State, monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in laws enacted for the protection of the interests of minorities, and look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of minorities. The Commission shall also undertake studies, research and analysis on issues relating to the socio-economic and educational development of minorities and make recommendations for effective implementation of safeguards and for appropriate measures to be undertaken by the State Government.

6. The Bill seeks to achieve the aforesaid objects.

KRISHAN KUMAR BEDI,
Social Justice, Empowerment and
Welfare of SCs and BCs Antyodaya, SEWA, Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

CHANDIGARH:
The 26th August, 2026

DR. VIRENDER KUMAR DAHIYA,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As per provision made in Section 15 of the proposed The Haryana State Commission for Minorities Bill, 2026, the Governement may on an application made by the Administrator or the committee, as the case may be, give grant or advance to the Commission, on such terms and conditions, as the Government may specify for the purposes of managing the business and affairs of the Commission and its further development. However, advance or any grant cannot be forecasted at this stage.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 24 of the proposed Bill empowers the State Government to frame Rules for carry out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of a normal character. Hence, the memorandum regarding delegated Legislation as required under Rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या 14. एच.एल.ए.

हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026

हरियाणा राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण तथा रक्षोपायों, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों की अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अपेक्षाओं के बारे में अनुशंसा करने, धर्म–निरपेक्ष परम्पराओं का परिरक्षण करने और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, आयोग का अध्यक्ष;

(ख) "आयोग" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(घ) "सदस्य" से अभिप्राय है, आयोग का सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव भी शामिल हैं;

(ङ) "अल्पसंख्यक" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा, समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित हरियाणा राज्य में रहने वाले समुदाय;

(च) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(छ) "उपाध्यक्ष" से अभिप्राय है, आयोग का उपाध्यक्ष।

3. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कार्यों को करने के लिए हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। आयोग का गठन।

(2) आयोग निम्नलिखित से गठित होगा, –

(क) अध्यक्ष, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जो सामाजिक जीवन में वृहत अनुभव रखने वाला हो और जिसने सरकारी गतिविधियों में कार्य किया हो, योगदान दिया हो;

(ख) उपाध्यक्ष, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रतिष्ठित, सक्षम और सत्यनिष्ठ व्यक्ति होगा, जो अल्पसंख्यकों के कल्याण, अधिकारों का संरक्षण, सामाजिक उन्नति, शैक्षणिक विकास, आर्थिक सशक्तता या सांस्कृतिक हितों से संबंधित मामलों में व्यावहारिक अनुभव रखने वाला हो;

(ग) सभी अल्पसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच गैर–सरकारी सदस्य:

परन्तु सरकार, अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या के अनुसार सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकती है:

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे; तथा

(घ) सचिव, जो धारा 7 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

4. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। सदस्यों की पदावधि।

(2) जब कभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, को हटाने से कोई रिक्ति होती है, तो ऐसी रिक्ति, सरकार द्वारा नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी तथा ऐसा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी की पदावधि की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

सदस्य का त्यागपत्र तथा हटाया जाना।

5. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित में पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, को हटा सकती है, यदि वह, –

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है; या

(ख) सरकार की राय में नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडित किया गया है; या

(ग) विकृत चित्त हो जाता है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(घ) कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति अवकाश प्राप्त किए बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) सरकार की राय में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित के लिए अहितकर है:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के सिवाय तब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का यक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

सदस्यों का वेतन और भत्ते।

6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

आयोग का सचिव।

7. (1) सरकार, हरियाणा सिविल सेवा संवर्ग के किसी अधिकारी को आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) सचिव, आयोग के लेखे अनुरक्षित करवाएगा तथा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसको सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) सचिव, आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा आयोग तथा इसके दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन के कार्यों के समुचित प्रशासन के लिए जिम्मेवार होगा तथा, –

(क) आयोग के अनुदानों का संचालन करेगा;

(ख) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा या के अधीन उसको प्रदत्त किए गए हैं; तथा

(ग) आयोग के किसी अधीनस्थ अधिकारी को अपना कोई कृत्य या प्राधिकार प्रत्यायोजित करेगा।

आयोग का अमला।

8. (1) सरकार, आयोग को ऐसा अमला उपलब्ध करवाएगी, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग की उचित कार्यप्रणाली के लिए अपेक्षित हो।

(2) अमले का वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

अनुदानों में से भुगतान किए जाने वाले वेतन और भत्ते।

9. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा आयोग के अमले को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्तों सहित आयोग के प्रशासकीय व्यय, धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुदानों में से भुगतान किए जाएंगे।

आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया।

10. (1) आयोग, सरकार के पूर्व अनुमोदन से इसकी अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(2) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय, सचिव या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त विधिवत् प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

रिक्तियों इत्यादि से आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना।

11. आयोग का कोई भी कार्य, निर्णय या कार्यवाही प्रश्नगत नहीं होगी या केवल किसी रिक्ति या आयोग के गठन में त्रुटि या अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि या बैठक आयोजित करने के लिए नोटिस, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करें, जारी करने सहित आयोग की प्रक्रिया में किसी अनियमितता के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

आयोग की बैठक।

12. (1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय तथा स्थान पर, जो अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा:

परन्तु आयोग तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(2) अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) बैठक के लिए गणपूर्ति आधे सदस्यों से होगी।

13. (1) आयोग निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थातः— आयोग के कृत्य।

(क) अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान या संसद द्वारा अधिनियमित विधियों या राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधियों में दिए गए विभिन्न रक्षोपायों के कार्य की जांच करने तथा सभी रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा लागूकरण सुनिश्चित करने की अनुशंसा करना;

(ख) अल्पसंख्यकों के लिए भारत के संविधान, संसद या राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित विधियों तथा सरकार की नीतियों तथा स्कीमों में दिए गए रक्षोपायों के कार्य की निगरानी करना;

(ग) अल्पसंख्यकों के विरूद्ध भेदभाव से बचाव के प्रश्नों का अध्ययन, अनुसंधान तथा विश्लेषण करना;

(घ) हरियाणा सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना तथा वांछित स्तर तक पहुँचने के साधनों का उपाय करना;

(ङ) हरियाणा राज्य में साम्प्रदायिक समन्वय को सुनिश्चित करने, अनुरक्षण करने तथा उन्नत करने के लिए अनुशंसा करना;

(च) अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित किसी मामले और विशेष रूप से उन्हें पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को आवधिक या विशेष रिपोर्ट करना;

(छ) किसी अन्य मामले का अध्ययन करना, जो आयोग की राय में अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा उचित अनुशंसा करना;

(ज) अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर विचार करना और समय—समय पर समुचित समाधान करने का सुझाव देना;

(झ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा रक्षोपायों से वंचित करने वाली विशेष शिकायतों की जांच—पड़ताल करना तथा समुचित प्राधिकरणों के पास ऐसे मामलों को उठानाः

परन्तु यदि उप—धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम 19) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कार्यवाही करता है, तो ऐसे मामलों में राज्य आयोग की अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

(2) सरकार, आयोग की अनुशंसाओं पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही तथा ऐसी अनुशंसाओं को अस्वीकृत करने के कारण, यदि कोई हों, स्पष्ट करते हुए ज्ञापन के साथ राज्य विधानमण्डल के सम्मुख आयोग की अनुशंसा रखवाएगीः

परन्तु किसी अनुशंसा की अस्वीकृति के मामले में, आयोग के पास सरकार द्वारा सुनवाई का अधिकार होगा।

14. आयोग के पास इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करते समय तथा विशिष्टितया निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थातः— आयोग की शक्तियां।

(क) किसी व्यक्ति को समन जारी करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ—पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) सरकार के किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) साक्षी और दस्तावेजों की जांच करने के लिए कमीशन जारी करना; तथा

(च) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाए।

15. (1) आयोग, वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष अपनी आय तथा व्यय का बजट अनुमान तैयार करेगा और अनुमोदन के लिए उसे सरकार को अग्रेषित करेगा। आयोग का बजट तथा सरकार द्वारा अनुदान।

(2) सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा राज्य विधानमण्डल द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के बाद, अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि आयोग को भुगतान करेगी, जो सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु उचित समझे।

(3) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां व्यय कर सकता है, जो वह उचित समझे तथा ऐसी राशियां, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुदानों में से भुगतानयोग्य व्यय के रूप में समझी जाएंगी।

लेखे तथा लेखा–परीक्षा।

16. (1) आयोग, समुचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख ऐसे प्ररूप में बनाए रखेगा, जो विहित किया जाए।

(2) निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा, हरियाणा द्वारा प्रतिनियुक्त किसी लेखा–परीक्षक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, आयोग के लेखों की लेखा–परीक्षा की जाएगी तथा ऐसी लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में कोई व्यय, आयोग द्वारा भुगतानयोग्य होगा।

(3) लेखा–परीक्षक की पहुंच आयोग के सभी लेखों तथा अन्य अभिलेख तक होगी।

(4) आयोग द्वारा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ लेखा–परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखे सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे।

वार्षिक रिपोर्ट।

17. (1) आयोग, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के पूर्ण विवरण देते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा और सरकार को उसकी प्रति अग्रेषित करेगा।

(2) सरकार, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख वार्षिक रिपोर्ट रखवाएगी।

विशेष रिपोर्ट।

18. आयोग, अल्पसंख्यकों के हितों से सम्बन्धित लोक महत्व के किसी मामले पर विशेष रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर सकता है।

अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने की शक्ति।

19. आयोग, इस अधिनियम के अधीन साक्षियों तथा दस्तावेजों की कोई जांच करने के प्रयोजनों के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकार के किसी अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

आयोग को किए गए कथन के लिए संरक्षण।

20. साक्ष्य देने के दौरान आयोग को किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कथन को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसे अभियोजित करने के सिवाय, किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों में उसके विरूद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

लोक सेवक।

21. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

22. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन कृत्य करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या किसी अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी के निर्देशनाधीन कार्य करने वाले किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

अनुसंधान प्रकोष्ठ।

23. आयोग, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए सरकार को अनुशंसा कर सकता है।

नियम बनाने की शक्ति।

24. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

25. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, आयोग के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसा उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राज्य स्तर पर एक संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है, ताकि अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए संविधान तथा विधियों में प्रदत्त सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन किया जा सके और हरियाणा राज्य में ऐसे सुरक्षा उपायों तथा विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें की जा सकें।

2. वैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग अल्पसंख्यक समुदायों में उसके कार्यकरण और प्रभावशीलता के प्रति विश्वास उत्पन्न करेगा। इससे राज्य सरकार, उसके विभागों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास से संबंधित अन्य संगठनों के समक्ष आयोग की सिफारिशों को अधिक महत्व प्राप्त होगा।

3. अतः प्रस्तावित विधेयक द्वारा हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

4. हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा ऐसे सदस्य होंगे, जैसा कि विधेयक में प्रावधान किया जाए।

5. आयोग का मुख्य कार्य राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण हेतु संविधान तथा विधियों में प्रदत्त सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करना होगा। आयोग अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी कराएगा तथा सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य सरकार द्वारा अपनाए जाने योग्य उपयुक्त उपायों के संबंध में सिफारिशें करेगा।

6. यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

कृष्ण कुमार बेदी,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
और अंत्योदय सेवा विभाग, मंत्री हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़:
दिनांक 26 अगस्त, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026 की धारा 15 में किए गए प्रावधान के अनुसार सरकार प्रशासक या समिति द्वारा किए गए आवेदन पर संस्था के व्यवसाय और मामलों के प्रबंधन तथा इसके आगे के विकास के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों और नियमों पर संस्था को अनुदान या अग्रिम दे सकती है। हालाँकि इस स्तर पर अग्रिम या किसी अनुदान का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

प्रत्यायुक्त विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 24 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन एक सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन है।

12821—H.V.S.—H.G.P., Pkl.